| | राजस्थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary |
|---|---|---|
| सत्यमेव जयते | साधिकार प्रकाशित | Published by Authority |
| | कार्तिक 05, सोमवार, *शाके* 1947- अक्टूबर 27, 2025<br>Kartika 05, Monday, Saka 1947- October 27, 2025 | |

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।


**वित्त(जीएण्डटी) विभाग**

अधिसूचना

**जयपुर, अक्टूबर 27, 2025**

**जी.एस.आर.59 :-**राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक **एफ.2(3)/एफडी/एफआर/एसपीएफसी/2025** दिनांक 18.08.2025 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता हैः-

**राज्यपाल के आदेश से,**
मनीष माथुर,
**संयुक्त शासन सचिव।**

**वित्त (वित्तीय नियम) विभाग**

अधिसूचना

**जयपुर, अगस्त 18, 2025**

**जी.एस.आर.59.–**राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 32 के साथ पठित राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 6 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार की सामाजिक-आर्थिक नीतियों, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के विभागों और उद्यमों के संसाधनों और विशेषज्ञता के उपयोग और उपापन संस्थाओं के व्यक्तिशः बोलियों के आमंत्रण और प्रक्रिया में अपेक्षित समय, धन और प्रयासों की बचत के लिए यह आवश्यक है, इस विभाग की, समय-समय पर यथासंशोधित, अधिसूचना संख्यांक एफ.1(8)/एफडी/जीएफएण्डएआर/2011 दिनांक 04 सितम्बर, 2013 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

**संशोधन**

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्यांक 4 के सामने, स्तंभ 2 के खंड (च) के सामने स्तंभ (4) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "लघु स्तर उद्योगों" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "सूक्ष्म और लघु उद्यमों" प्रतिस्थापित की जायेगी। **[एफ.2(3)/एफडी/एफआर/एसपीएफसी/2025]**

**राज्यपाल के आदेश से,**

मनीष माथुर,
**संयुक्त शासन सचिव।**

---

**Government Central Press, Jaipur.**